कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/1049 दिनांकः– 01/09/2023

–ःकार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 19/2023 वीं बैठक दिनांक 25.08.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है। बैठक के दौरान जोन–6 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

एजेण्डा

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–6 की 13/2023 वीं बैठक दिनांक 23.06.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णयः– **समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत सर्व–सम्मति से गत बैठक दिनांक 23.06.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 01 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	आंगणवा	114/1, 115	07.07.03 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री शेराराम पुत्र श्री तुलछाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 114/1, 115 रकबा 07.07.03 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गयी है तथा वर्तमान में मौके पर सीवर लाईन का कार्य प्रगतिरत है। साथ ही उक्त सडक पर प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 3–4 योजनाएँ अनुमोदित की गयी है। अतः प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के सामने निर्धारित 18 मीटर सडक का अंकन राजस्व मानचित्र में करवाये जाने हेतु जोन उपायुक्त स्तर से कार्यवाही की जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 4. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के सुझावों को समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 5. योजना का क्षैत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 8. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल					

	की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 9. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 10. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 11. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 13. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 02 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	पूंजला	235/5	00.10.00 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री दिलीप सांखला पुत्र श्री श्यामसिंह				
विषयः–	राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 235/5 रकबा 00.10.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने 24 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में विद्यमान मार्ग का मार्गाधिकार 12 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 12 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 06 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के सामने सडक भाग में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।				

	5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 6. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/प्रार्थी द्वारा की जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 03 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	पूंजला	34/2	01.01.00 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड

आवेदक	श्री आनन्दसिंह सांखला पुत्र श्री जगदीश सिंह सांखला
विषयः–	राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 34/2 रकबा 01.01.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में विद्यमान मार्ग का मार्गाधिकार आस–पास की बसावट के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम 09 मीटर (मौके पर सडक की चौडाई 09 मीटर से अधिक प्राप्त होने पर उक्त भूमि को सडक हेतु ही रखा जावे। अन्य श्रेणी यथा भू–पट्टी इत्यादि नही माना जावें) निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 09 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 4.5 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में मौके पर किए गए निर्माण के संबंध में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 3. आवेदित भूमि के सामने सडक भाग में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

<table>
<tr><td></td><td>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/प्रार्थी द्वारा की जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</td></tr>
</table>

एजेण्डा संख्या 04 :–

<table>
<tr><th>बैठक दिनांक</th><th>जोन</th><th>राजस्व ग्राम</th><th>खसरा संख्या</th><th>रकबा</th><th>प्रयोजन</th></tr>
<tr><td>25.08.2023</td><td>जोन–6</td><td>दईजर</td><td>145/16</td><td>10.00.00 बीघा</td><td>आवासीय योजना</td></tr>
<tr><td>आवेदक</td><td colspan="5">श्री विकास खींची पुत्र श्री गुलाबचन्द खींची, श्री अनिल झंवर पुत्र श्री गोरधनलाल झंवर, श्रीमती सुमन कंवर चौहान पत्नी श्री गोपालसिंह चौहान, श्री निर्मल भाटी पुत्र श्री नरेश भाटी, श्रीमती शोभा भण्डारी पत्नी श्री देवेन्द्र भण्डारी, K.M.C.C Power Renewable Private Limited</td></tr>
<tr><td>विषयः–</td><td colspan="5">राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 145/16 रकबा 10.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।</td></tr>
<tr><td>निर्णयः–</td><td colspan="5">समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–
1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 12 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के सुझावों को समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन को योजना में प्रस्तावित सडकों के सहारे शिफ्ट किये जाने के उपरान्त ही विद्युत लाईन से प्रभावित भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
5. योजना का क्षेत्रफल 2 हे0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।
8. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।</td></tr>
</table>

	9. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 10. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 12. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 05 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	दईजर	180/1, 181/1	13.08.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती कीर्ति पत्नी श्री दिनेश कुमार, श्री सुजीत कुमार पुत्र श्री मोहनलाल				
विषयः–	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 180/1, 181/1 रकबा 13.08.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने 24 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के सुझावों को समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. आवेदक द्वारा आवासीय योजना हेतु प्रस्तुत नवीन आवेदन अनुसार संशोधित 90/क की नियमानुसार कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जाकर ही ले–आउट प्लान की कियान्विति सम्भव हो सकेगी। साथ ही नियमानुसार ले–आउट प्लान संशोधन शुल्क की राशि ली जावें। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.09.2021 में उल्लेखित प्रावधानों के कम में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। 6. आवेदित भूमि में से गुजर रही 132 के.वी की विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सेफ्टी–कोरीडोर एवम् उसके उपरान्त 12 मीटर सडक का प्रावधान किया जावें। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से अधिक क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विकय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य भूखण्ड आरक्षित किये जावें। 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 9. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।				

	10. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 11. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 13. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 06 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	दईजर	4	05.15.00 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक	श्री कमलेश पुत्र श्री नन्दकिशोर
विषयः–	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 4 रकबा 05.15.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के सुझावों को समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 7. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 8. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 9. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।

	10. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 12. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 07 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	मण्डोर	69/1	1260.00 वर्गगज	होटल (पर्यटन ईकाई)
आवेदक	श्रीमती उत्तमा देवी पत्नी श्री जेठूसिंह				
विषयः–	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 69/1 रकबा 00.16.00 बीघा में से 00.13.00 बीघा अर्थात् 1260.00 वर्गगज में होटल (पर्यटन ईकाई) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित विद्यमान सडकों (A-B-C, G-E-D, F-E-D, B-G-F) का मार्गाधिकार निम्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार कमशः 18, 12, 12, 09 मीटर निर्धारित किया जावें। उक्त सडकों के संवंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। उक्त सडक मार्गो पर भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रकरणों में सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 27.02.2023 में लिए गए निर्णय अनुसार शेष शर्ते यथावत रहेगी।				

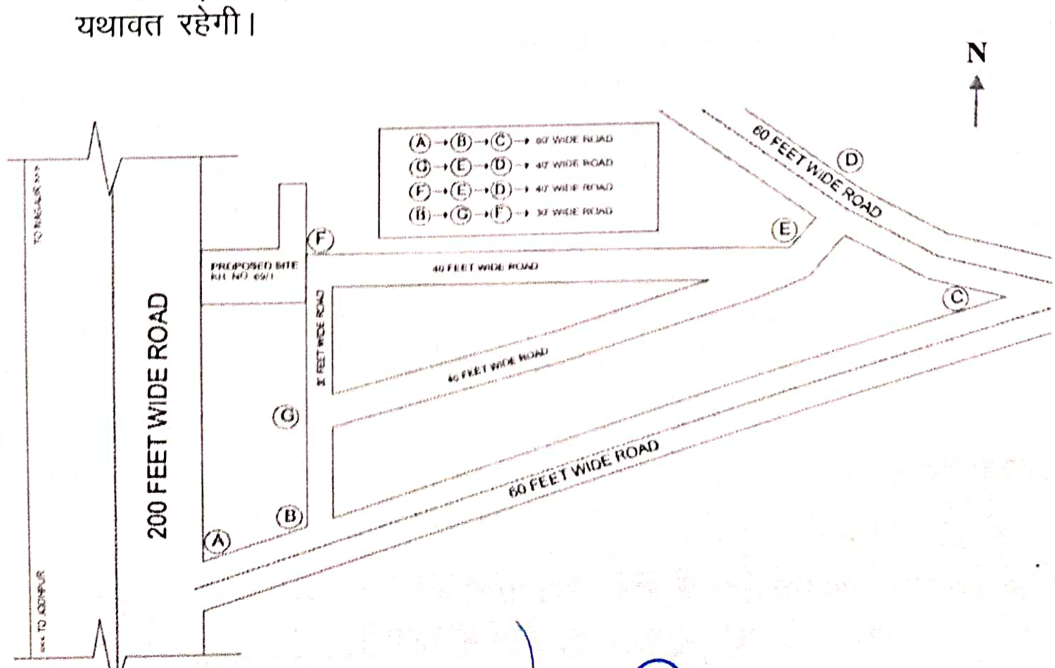

एजेण्डा संख्या 08 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	करवड	294/1, 295	15.14.00 बीघा	रिसोर्ट एकल भूखण्ड

आवेदक	श्री अमराराम पुत्र श्री उकाराम
विषयः–	राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 294/1, 295 रकबा 15.14.00 बीघा में रिसोर्ट एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि रिंग रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 90 मीटर तथा उसके उपरान्त 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत् नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. आवेदित भूमि के सडक भाग में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 5. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 6. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/ प्रार्थी द्वारा की जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 09 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	करवड	153, 154, 213, 213/2	73.02.08 बीघा	ईको फ्रेन्डली हाउसिंग योजना

आवेदक	श्री भंवरलाल मेघवाल पुत्र श्री भीकाराम मेघवाल, श्री सुरेश पुत्र श्री रोशन, श्री आलमसिंह पुत्र श्री खयालीराम, श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री राजू मीणा
विषयः–	राजस्व ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 153, 154, 213, 213/2 रकबा 73.02.08 बीघा में ईको फ्रेन्डली हाउसिंग योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित राजस्व रास्ते को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्धारित 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित नाले/जलीय क्षेत्र के सहारे 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित अन्य जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर सड़क का प्रावधान किया जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदक द्वारा ईको फ्रेन्डली हाउसिंग योजना हेतु प्रस्तुत नवीन आवेदन अनुसार संशोधित 90/क की नियमानुसार कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जाकर ही ले–आउट प्लान की क्रियान्विति सम्भव हो सकेगी। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार एवम् टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 4. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के सुझावों को समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 5. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन को योजना में प्रस्तावित सडकों के सहारे शिफ्ट किये जाने के उपरान्त ही विद्युत लाईन से प्रभावित भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 6. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 10 है0 से अधिक होने के कारण टाउनशिप पालिसी–2010 के प्रावधान संख्या 3.0 के अनुसार जोविप्रा में पंजीकरण की नियमानुसार कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 7. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 9. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	सुरपुरा	42/1 से 42/3	10.16.00 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक	श्री भीखाराम पुत्र श्री अन्नाराम, श्रीमती भगवती पत्नी श्री भंवरलाल, श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री अन्नाराम

विषयः— राजस्व ग्राम सूरपुरा के खसरा संख्या 42/1 से 42/3 रकबा 10.16.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

निर्णयः— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 24 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2022 को जारी पत्र के अनुसार 33 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार न्यूनतम 5.6 मीटर के सेफ्टी-कॉरीडोर का प्रावधान किया जावें तथा उसके उपरांत दोनों ओर न्यूनतम 4.5 मीटर की सड़क अर्थात् कुल आर.ओ.डब्ल्यू. 14.6 मीटर (4.5+5.6+4.5=14.6 मीटर) का प्रावधान किया जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. पूर्व में बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 23.06.2023 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा संख्या 42 के अनुमोदित ले-आउट प्लान में प्रस्तावित समस्त सड़कों को प्रश्नगत योजना में निरन्तर रखते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जाकर जारी किया जावें।
3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
4. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के सुझावों को समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
5. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।
8. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
9. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
10. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
11. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें।
12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
13. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	मण्डोर–द्वितीय	117	43.09.00 बीघा में से 00.13.16 बीघा	वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) एकल भूखण्ड

आवेदक	श्री रणजीतसिंह, श्री ओमाराम पुत्र श्री भोमाराम
विषयः–	राजस्व ग्राम मण्डोर–द्वितीय के खसरा संख्या 885/3 रकबा 43.09.00 बीघा में से 00.13.16 बीघा में वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत प्रकरण में प्राप्त प्रतिवेदन के कम में आवेदित भूमि के पीछे की ओर नहर विद्यमान होने के कारण निम्नलिखित बिन्दुओं पर जल संसाधन/संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें:– 01. गूगल मानचित्र में उक्त नहर के आरम्भ होने वाले बिन्दु के दृष्टिगोचर नही होने के कारण नहर के संबंध में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहर के अस्तित्व एवं उपयोगिता के संबंध में टिप्पणी। 02. नहर की चौडाई तथा उक्त नहर वर्तमान में उपयोग में आ रही है अथवा नही, के संबंध में टिप्पणी। 03. राजस्व ग्राम मण्डोर का राजस्व मानचित्र प्राधिकरण में उपलब्ध नही है। अतः उक्त नहर के संबंध में कोई सरकारी दस्तावेज यथा अवाप्ति दस्तावेज, भूमि अधिग्रहण दस्तावेज इत्यादि के संबंध में टिप्पणी। उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना प्राप्त किये जाने के उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 12 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	करवड	184, 188, 189, 190	42.11.00 बीघा	फार्म हाउस योजना

आवेदक	श्री जेताराम पुत्र श्री डूंगरराम, श्रीमती बस्की देवी पत्नी श्री हरीराम, श्री श्यामलाल पुत्र श्री मांगीलाल, श्रीमती वंदना पत्नी श्री कुलदीप
विषयः–	राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 184, 188, 189, 190 रकबा 42.11.00 बीघा में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 30 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि से लगते हुए खसरा संख्या 147 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में प्रस्तावित समस्त सडकों को प्रश्नगत योजना में निरन्तर रखते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जाकर जारी किया जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के सुझावों को समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. आवेदित भूमि की माठ से गुजर रही विद्युत लाईन को योजना में प्रस्तावित सडकों के सहारे शिफ्ट किये जाने के उपरान्त विद्युत लाईन से प्रभावित भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.02.2023 को जारी आदेश अनुसाार आवेदक द्वारा टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुरूप 75:25 के अनुपात में प्रस्तावित फार्म हाउस योजना में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2022 को जारी आदेश की तालिका–1 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 10 प्रतिशत, उँचाई अधिकतम भू+1 (10 मीटर) तथा सेटबैक व बी.ए.आर तालिका अनुसार रखा जावें।

	6. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 7. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन-6	बोरानाडा	7/2	05.08.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री बींजाराम, श्रीमती सुगणा पत्नी श्री भोमाराम				
विषयः-	राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 7/2 रकबा 05.08.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः-	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग की उपलब्धता के संबंध में आवेदक से स्थिति स्पष्ट करवायी जावें। पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता के उपरांत जोन उपायुक्त की चेकलिस्ट प्राप्त करते हुए प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**				

एजेण्डा संख्या 14 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन-6	बासनी लाछा	120/2, 120/5, 129, 129/7, 129/9	43.17.13 बीघा	कृषि आधारित वेयर हाउस योजना
आवेदक	श्री नारायणराम पुत्र श्री भोलाराम, श्री पोकरराम पुत्र श्री गोवरराम, श्रीमती लीला पत्नी श्री पोकरराम				
विषयः-	राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 120/2, 120/5, 129, 129/7, 129/9 रकबा 43.17.13 बीघा में कृषि आधारित वेयर हाउस योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः-	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः-** 1. आवेदित भूमि रिंग रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 90 मीटर तथा उसके उपरान्त 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार एवम् टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों अनुसार आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जाकर जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार एवम् टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।				

	4. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के सुझावों को समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 5. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन को योजना में प्रस्तावित सडकों के सहारे शिफ्ट किये जाने के उपरान्त ही विद्युत लाईन से प्रभावित भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 6. प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 17.10.2022 में लिए गए निर्णय अनुसार ग्रामीण आबादी एवम् उसके चारों ओर 500 मीटर की दूरी में आवेदित भूमि के अवस्थित नही होने के संबंध में जोन स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 7. योजना में प्रस्तावित समस्त भूखण्डों हेतु जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज जोन स्तर पर प्राप्त किया जाकर पट्टा विलेख जारी किया जावें। 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना एवं प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 17.10.2022 में लिये गए निर्णय के कम में समिति द्वारा मिश्रित व आवासीय भू–उपयोग में वेयर हाउस को अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया गया। 9. प्रकरण में अग्निसुरक्षा बाबत् सुरक्षात्मक दूरी हेतु अन्य उपयोगों से न्यूनतम 9 मीटर सेटबैक का प्रावधान किया जावें। 10. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 11. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 12. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 13. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 14. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	विनायकपुरा	720/618	18.12.00 बीघा में से 04.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री रामूराम दत्तक पुत्र श्री नवलाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम विनायकपुरा के खसरा संख्या 720/618 रकबा 18.12.00 बीघा में से 04.00.00 बीघा में फार्म हाउस उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट (खसरा संख्या 775/769) अनुसार आवेदित भूमि के सामने 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।				

	2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 5. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/प्रार्थी द्वारा की जावें। 6. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 16 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
25.08.2023	जोन–6	विनायकपुरा	720/618	18.12.00 बीघा में से 06.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड

आवेदक	श्री रामूराम दत्तक पुत्र श्री नवलाराम
विषयः–	राजस्व ग्राम विनायकपुरा के खसरा संख्या 720/618 रकबा 18.12.00 बीघा में से 06.00.00 बीघा में फार्म हाउस उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट (खसरा संख्या 775/769) अनुसार आवेदित भूमि के सामने 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल

	की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 5. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/प्रार्थी द्वारा की जावें। 6. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 1050 – 1055 **दिनांकः–** 01/09/2023
प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन–6), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक (जोन–6), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव